राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2017

शासकीय भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिये अनुज्ञप्ति

क्र. एफ-12-5-2016-सात-शा.2ए.—जल, गैस, मूल, औद्योगिक अपशिष्ट के वहन के लिए तथा विद्युत् एवं फाईबर आप्टिक्स के पारेषण के लिए भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये निजी भूमियों में भूमि के उपयोग का अधिकार का अर्जन करने एवं उससे संबद्ध तथा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधान उपलब्ध हैं किन्तु शासकीय भूमियों में से भूमिगत पाईप लाईन केबल या डक्ट बिछाने के लिये कोई प्रांवधान उपलब्ध नहीं है. इस कारण यह आवश्यक समझा गया है कि विभिन्न कम्पनियों, निगमों तथा सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य एजेन्सियों को शासकीय भूमियों में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये प्रावधान बनाये जाएं.

अतएव, राज्य शासन द्वारा शासकीय भूमियों में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिये निम्नानुसार प्रावधान विहित किये जाते हैं:—

1. जल, गैस, मल, औद्योगिक अपशिष्ट के वहन के लिए तथा विद्युत् एवं फाईबर आप्टिक्स के पारेषण के लिये भूमिगत पाईल पाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के लिये शासकीय भूमियों में भूमि के उपयोग तथा उससे सम्बद्ध एवं आनुषंगिक विषयों के लिये 30 वर्ष की अवधि के लिये वर्षिक शुल्क पर अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी, जो अवधि अवसान के अंतिम वर्ष में आवेदन करने पर आगामी 30 वर्ष के लिये नवीकृत की जा सकेगी.

2. अनुज्ञप्ति स्वीकृति के लिए,—

(1) यदि जिले के भीतर पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाई जाना है तो कलेक्टर;

(2) यदि एक जिले से अधिक किन्तु संभाग के भीतर पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाई जाना है तो संभागीय आयुक्त; और

(3) यदि एक से अधिक संभागों के भीतर पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाई जाना है तो राज्य सरकार;

अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगी.

3. आवेदक कम्पनी/संस्था/निगम/सार्वजनिक उपक्रम/एजेन्सी सक्षम प्राधिकारी को अपनी परियोजना के विस्तृत विवरण का उल्लेख करते हुए भूमि के विवरण, नक्शा जिसमें प्रस्तावित पाईप लाईन का क्षेत्र दर्शाया जाएगा संलग्न करते हुए आवेदन करेगा. सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक जांच जैसी कि वह ठीक समझे, करायेगा और सर्वसाधारण को कम से कम 15 दिवस की अवधि देते हुए उद्घोषणा जारी कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करेगा और यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होता है तो उसका निराकरण करेगा तत्पश्चात् यह सुनिश्चित होने पर कि,—

(1) आवेदक का प्रस्ताव परियोजना के प्लान के अनुरूप है;

(2) प्रस्ताव लोक हित में है;

(3) प्रस्ताव केन्द्रीय अथवा राज्य के अधिनियमों/नियमों/परिपत्रों एवं निर्देशों के अनुरूप है;

(4) आवेदक एजेन्सी परियोजना को पूर्ण करने के लिये तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता रखती है; तथा

(5) परियोजना की स्थापना के लिये चाही गयी अनुज्ञप्ति दिए जाने पर कोई पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न नहीं होगी;

सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की अनुमति दे सकेगा. अनुज्ञप्ति-पत्र परिपत्र के साथ संलग्न प्ररूप-क में निष्पादित किया जाएगा.

4. अनुज्ञप्ति के लिए प्रीमियम आवेदित भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क प्रभारित प्रीमियम राशि का 02 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा. यदि अनुज्ञप्तिधारी चाहे तो एक से अधिक वर्षों का अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त जमा करा सकता है. अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के समय प्रीमियम देय नहीं होगा, किन्तु वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क पुनर्निर्धारित किया जाएगा जो पूर्व अनुज्ञप्ति शुल्क का दोगुना होगा.

5. अनुज्ञप्ति की मंजूरी निम्न शर्तों/निबंधनों पर दी जाएगी:—

(1) अनुज्ञप्तिधारी को भूमि पर उपयोक्ता का अधिकार प्राप्त रहेगा;

(2) भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जाएगा, जिसके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है;

(3) अनुज्ञप्तिधारी भूमि को सभी विलंगमों (बकाया/प्रभारों आदि) से एवं अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा;

(4) अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निबंधनों के किसी भी प्रकार के उलंघन के मामले में सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति वापस लेने तथा भूमि को मूल स्वरूप में वापस लेने का अधिकार होगा जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा;

(5) भूमि के उपयोग के लिये विकास कार्य की योजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण प्रतिकूल प्रभावित नहीं होना चाहिए;

(6) वन भूमि के मामले में अनुज्ञप्तिधारी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक अनुमतियां वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा. अनुज्ञप्तिधारी को केवल वन भूमि उपयोग करने की अनुमति होगी. वन का वैधानिक स्वरूप वन ही रहेगा एवं वन भूमि का स्वामित्व भी वन विभाग का ही होगा;

(7) भू-अभिलेखों में भूमि के अभिलिखित नोइयत में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(8) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के लिए प्रीमियम राशि रु . . . . /- (शब्दों में . . . . . रुपया) (भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत) देगा और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क प्रीमियम की राशि का 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष देगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी चाहे तो एक से अधिक वर्षों का अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त जमा कर सकता है. अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के समय प्रीमियम देय नहीं होगा किन्तु वार्षिक शुल्क प्रत्येक नवीनीकरण के समय उस समय देय शुल्क का दोगुना पुनर्निर्धारित किया जाएगा;

(9) अनुज्ञप्तिधारी भूमि पर कोई भवन या संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

(10) अनुज्ञप्तिधारी भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के पश्चात् भूमि को मूल स्वरूप में लायेगा. गड्ढों के रूप में नहीं छोड़ेगा;

(11) अनुज्ञप्तिधारी को भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने का अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा और किसी अन्य उपयोक्ता को भी उसी स्थान पर ऊपर या नीचे या अगल-बगल में तकनीकी अपेक्षाओं को पूर्ति किये जाने के अध्यधीन रहते हुए भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने की मंजूरी दी जा सकेगी;

(12) तकनीकी अपेक्षाएं पूरी की गयी हैं या नहीं, यह तय करने का सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त रहेगा;

(13) बाद वाले उपयोक्ता के द्वारा पूर्व के स्थल पर विद्यमान उपयोक्ता को पहुंचाई गयी किसी भी क्षति या व्यवधान के मामले में सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा;

(14) अनुज्ञप्तिधारी खुदाई कार्य के दौरान सभी पाईप लाईन, केबल, डक्ट भूमिगत स्थापन, उपयोगिता एवं सुविधाएं आदि की संभावित क्षति का किसी भी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी द्वारा बीमा करा सकेगी;

(15) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा सम्यक्रूप से प्राधिकृत अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित कर किसी भी समय पाईप लाईनों/केबल/डक्ट स्थल का निरीक्षण कर सकेगा;

(16) अनुज्ञप्ति अनुबंध के लिये देय स्टाम्प ड्यूटी प्रभार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किए जाएंगे;

(17) अनुबंध की अवधि के अवसान के पश्चात् अथवा शर्त उल्लंघन या अपालन के मामले में अनुज्ञप्ति वापस लिये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी 90 दिवस के भीतर पाईप लाईन, केबल या डक्ट हटा लेगा और स्थल को पूर्व स्थिति में वापस लायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसा करने में चूक करता है तो उसका पाईप लाईन, केबल या डक्ट हटाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी के खर्चे पर पाईप लाईन हटाई जाएगी तथा भूमि को मूल स्वरूप में लाया जाएगा, यह खर्चा अनुज्ञप्तिधारी से वसूल किया जाएगा. ऐसी राशि भू-राजस्व के तौर पर वसूल योग्य होगी.

6. इस नीति के प्रयोजन के लिये बाजार मूल्य से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ण क) में परिभाषित बाजार मूल्य होगा:

परन्तु जहां उक्तानुसार बाजार मूल्य नियत नहीं है वहां संभागायुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर कलेक्टर द्वारा बाजार मूल्य नियत किया जाएगा.

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति स्वीकृति उपरान्त कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत उपखंड अधिकारी और अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित किए जाने वाले अनुज्ञप्ति विलेख का प्ररूप-क संलग्न है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव.

प्ररूप-क
(कंडिका 3 देखिए)

अनुज्ञप्ति

शासकीय भूमि में से भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिये अनुज्ञप्ति

यह अनुज्ञप्ति विलेख आज तारीख . . . . . मास . . . . सन् 20 . . . को प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अनुदाता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत उनके पद के उत्तरवर्ती आएंगे) और द्वितीय पक्ष श्री ..... आत्मज ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... (और जिस मामले में कम्पनी या संस्था हो तो ऐसी कम्पनी या संस्था का पूरा नाम पंजीयन क्रमांक एवं पता दिया जाए तथा अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के विवरण दिए जाएं). (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत, जहां कि संदर्भ में वैसा अनुमत हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रबंधक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती आएंगे) के बीच किया जाता है.

चूंकि, अनुदाता, अनुज्ञप्तिधारी के निवेदन पर, इस बात के लिये सहमत हो गया है कि उसे अनुसूची में उल्लेखित भूमियों में तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से इससे उपाबद्ध रेखांक में चित्रित है और उसमें सुर्खी से बतलाया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट है), में भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के लिये (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त निर्माण के नाम से निर्दिष्ट हैं) का निर्माण करने, स्थापन करने, अनुरक्षण करने तथा उपयोग करने के लिए इसमें इसके पश्चात् दिये गये निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति मंजूर कर देगा.

और, चूंकि, अनुज्ञप्तिधारी, उसे मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के प्रतिफलस्वरूप, अनुदाता को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित किये गये अनुसार एकमुश्त प्रीमियम राशि रुपये . . . . (शब्दों में . . . . .) तथा अनुज्ञप्ति फीस के मद्दे प्रतिवर्ष राशि रुपये . . . . (शब्दों में . . . . .) की राशि का संदाय करने के लिये समहत हो गया है और प्रीमियम की राशि एवं प्रथम वर्ष को अनुज्ञप्ति फीस की राशि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा करा दी गई है. (. . . . . राशि जमा किए जाने के विवरण अंकित किए जाएं),—

अतएव यह विलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्द्वारा निम्नानुसार करार किया जाता है:—

1. अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त भूमि में भूमिगत रचना या निर्माण, स्थापन, अनुरक्षण तथा उपयोग कर सकेगा, अर्थात्:—

(1) अनुज्ञप्तिधारी को भूमि पर उपयोक्ता का अधिकार प्राप्त रहेगा;

(2) भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जाएगा, जिसके लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है;

(3) अनुज्ञप्तिधारी भूमि को सभी विलंगमों (बकाया/प्रभारों आदि) से एवं अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा;

(4) अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निबंधनों के किसी भी प्रकार के उलंघन के मामले में सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति वापस लेने तथा भूमि को मूल स्वरूप में वापस लेने का अधिकार होगा जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा;

(5) भूमि के उपयोग के लिये विकास कार्य की योजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण प्रतिकूल प्रभावित नहीं होना चाहिए;

(6) वन भूमि के मामले में अनुज्ञप्तिधारी को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक अनुमतियां वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा. अनुज्ञप्तिधारी को केवल वन भूमि उपयोग करने की अनुमति होगी. वन का वैधानिक स्वरूप वन ही रहेगा एवं वन भूमि का स्वामित्व भी वन विभाग का ही होगा;

(7) भू-अभिलेखों में भूमि के अभिलिखित नोइयत में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(8) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के लिए प्रीमियम राशि रु . . . . /- (शब्दों में . . . . . रुपया) (भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत) भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत देगा और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क प्रीमियम की राशि का 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष देगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी चाहे तो एक से अधिक वर्षों का अनुज्ञप्ति शुल्क एकमुश्त जमा कर सकता है. अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के समय प्रीमियम देय नहीं होगा किन्तु वार्षिक शुल्क प्रत्येक नवीनीकरण के समय उस समय देय शुल्क का दोगुना पुनर्निर्धारित किया जाएगा;

(9) अनुज्ञप्तिधारी भूमि पर कोई भवन या संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

(10) अनुज्ञप्तिधारी भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने के पश्चात् भूमि को मूल स्वरूप में लायेगा. गड्ढों के रूप में नहीं छोड़ेगा;

(11) अनुज्ञप्तिधारी को भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने का अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा और किसी अन्य उपयोक्ता को भी उसी स्थान पर ऊपर या नीचे या अगल-बगल में तकनीकी अपेक्षाओं की पूर्ति किये जाने के अध्यधीन रहते हुए भूमिगत पाईप लाईन, केबल या डक्ट बिछाने की मंजूरी दी जा सकेगी;

(12) तकनीकी अपेक्षाएं पूरी की गयी हैं या नहीं. यह तय करने का सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त रहेगा;

(13) बाद वाले उपयोक्ता के द्वारा पूर्व स्थल पर विद्यमान उपयोक्ता को पहुंचाई गयी किसी भी क्षति या व्यवधान के मामले में सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा;

(14) अनुज्ञप्तिधारी खुदाई कार्य के दौरान सभी पाईप लाईन, केबल, डक्ट भूमिगत स्थापन, उपयोगिता एवं सुविधाएं आदि की संभावित क्षति का किसी भी प्रतिष्ठित बीमा कम्पनी द्वारा बीमा करा सकेगी;

(15) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को संसूचितकर किसी भी समय पाईप लाईनों/केबल/डक्ट स्थल का निरीक्षण कर सकेगा;

(16) अनुज्ञप्ति अनुबंध के लिये देय स्टाम्प ड्यूटी प्रभार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किए जाएंगे;

(17) अनुबंध की अवधि के अवसान के पश्चात् अथवा शर्त उल्लंघन या अपालन के मामले में अनुज्ञप्ति वापस लिये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी 90 दिवस के भीतर पाईप लाईन, केबल या डक्ट हटा लेगा और स्थल को पूर्व स्थिति में वापस लायेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी ऐसा करने में चूक करता है तो उसका पाईप लाईन, केबल या डक्ट हटाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा और अनुज्ञप्तिधारी के खर्चे पर पाईप लाईन हटाई जाएगी तथा भूमि को मूल स्वरूप में लाया जाएगा, यह खर्चा अनुज्ञप्तिधारी से वसूल किया जाएगा. ऐसी राशि भू-राजस्व के तौर पर वसूल योग्य होगी.

(2) इस विलेख के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शोध्य होने वाली कोई भी राशि, उससे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी.

(3) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी आफिसर किसी भी समय उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसका तथा उक्त निर्माण का निरीक्षण कर सकेगा. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निरीक्षण के लिये प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा और कलेक्टर या प्राधिकृत आफिसर द्वारा दिये गये किन्हीं भी अनुदेशों का अनुपालन करेगा.

(4) यदि किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी इसमें अंतर्विष्ट शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग करे, तो अनुदाता अनुज्ञप्ति को तत्काल खत्म कर सकेगा और अनुज्ञप्ताधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस संबंध में सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर उक्त निर्माणों को हटा ले. यदि अनुज्ञप्तिधारी सूचना में अनुज्ञात की गई कालावधि के भीतर उक्त निर्माणों को हटाने में असफल रहे, तो अनुदाता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उन्हें मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959), की धारा 248 के उपबंधों में अंतर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी खर्चे से हटवा दे.

परन्तु अनुदाता के लिये यहं विधिपूर्ण होगा कि वह अनुज्ञप्ति को खत्म न करने हेतु प्रतिफल के तौर पर अनुज्ञप्तिधारी से ऐसी बढ़ी हुई फीस प्राप्त करे जैसी कि अनुदाता अवधारित करे.

अनुसूची

(भूमि के विवरण तथा अनुलग्न रेखांक)

1.

2.

3.

. . . . . .

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की गई तारीख तथा वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं—

साक्षीगण—

1. . . . . अनुदाता

2 . . . . . अनुज्ञप्तिधारी

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 29 जून 2017

क्र. 24-अ-82-16-17-6176.—चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम सागर की बी.ओ.टी. (टोल+एन्यूटी) योजनान्तर्गत पाटन-तेंदूखेड़ा-रहली मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत किसी भी प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक नहीं है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस प्रारंभिक अधिसूचना के जरिये